



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 357 राँची, गुरुवार, 11 आषाढ़, 1948 (श०)
2 जुलाई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

9 जून, 2026

सं.सं. : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024/1814/ वि.--

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प 217/वि. दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(iii)/2026-E.II(B), दिनांक 22.04.2026 के द्वारा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय के वैसे कर्मों, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिये दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 483% (चार सौ तिरासी प्रतिशत) कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मों, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई भत्ता की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

"राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मों, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 474% (चार सौ चौहत्तर प्रतिशत) से अभिवृद्धि करते हुए 483% (चार सौ तिरासी प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

4. झारखण्ड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34 (ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1688/वि० दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं० 14 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।
